

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2014—आश्विन 17, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-4-7-2014-उन्तीस-1.—भारत सरकार, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना आदेश क्रमांक एस. ओ. 681 (ई) दिनांक 30 नवम्बर 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

- खण्ड 2 के उपखण्ड (त) का लोप किया जाए,
- खण्ड 3 के उपखण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(3) अनुज्ञाप्ति से संबंधित इस आदेश के उपबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों को लागू नहीं होंगे.”.

3. खण्ड 6 में,—

- (एक) उपखण्ड (एक) में, शब्द “अधिकतम” का लोप किया जाए.
(दो) उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(दो) इस आदेश के अधीन कोई अनुज्ञाप्ति जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने अथवा नवीकृत किए जाने के लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा:—

(क)	थोक विक्रेता	रुपए 3,000/-
(ख)	आंशिक थोक विक्रेता	रुपए 1,500/-
(ग)	फुटकर विक्रेता	रुपए 300/-.”.

4. खण्ड 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नया खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“9. पालन से संबंधित निर्देश एवं नीले केरोसीन से संव्यवहार,—

- (1) कोई भी अनुज्ञितधारी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित न किया जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नीले केरोसीन से संबंधित कोई भी संव्यवहार अर्थात् केरोसीन का क्रय, विक्रय, विक्रय के प्रयोजन के लिए केरोसीन का भण्डारण आदि नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किए गए नीले केरोसीन के स्वरूप को रासायनिक अथवा अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञितधारी, केरोसीन के क्रय, विक्रय अथवा विक्रय और व्ययन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा संचालक/आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे लिखित में दिए गए समस्त निर्देशों को पूरा करेगा.”।

5. खण्ड 13 के उपखण्ड (1) में, शीर्षक “प्रतिभूति का जमा किया जाना” और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“प्रतिभूति का जमा किया जाना

थोक विक्रेता	रुपए 10,000/-
आंशिक थोक विक्रेता	रुपए 5,000/-
फुटकर विक्रेता	रुपए 1,000/-";

6. खण्ड 8 में, उपखण्ड (1) में, मद (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(दो) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कोई अधिकारी जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से अनिम्न पद धारण करता हो।”;

7. इस आदेश में, समस्त स्थानों पर, शब्द “संचालक” के स्थान पर, शब्द और चिन्ह “संचालक/आयुक्त” स्थापित किए जाएँ।

No. F-4-7-2014-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955), read with notification of the Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies, (Department of Civil Supplies and Co-operation) vide Order No. S. O. 681 (E), dated 30th November 1974 the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Kerosene Dealers (Licensing) Order, 1979, namely:—

AMENDMENT

In the said order,—

1. Sub-clause (k) of clause 2 shall be omitted.
 2. After sub-clause (2) of clause 3, the following new sub-clause shall be added, namely:—

“(3) Provisions of this Order relating to the license shall not be applicable to fair price shops of public distribution system.”.

3. In clause 6,—

- (i) In sub-clause (i) the word “maximum” shall be omitted.
- (ii) For sub-clause (ii) following sub-clause shall be substituted, namely:—
“(ii) The fee for issuing, reissuing or renewal of license under this order shall be as follows:—

(a) Wholesaler	Rs. 3000/-
(b) Semi-wholesaler	Rs. 1500/-
(c) Retailer	Rs. 300/-.”.

4. For clause 9, the following new clause shall be substituted, After substituted, namely:—

“9. Instructions for compliance and dealing with blue kerosene,—

- (1) No licensee shall make and dealing related to blue Kerosene under the public distribution system that is purchase, sale storage of Kerosene for the purpose of sale etc., unless it is so required by the State Government.
- (2) No person shall change physical appearance of blue Kerosene supplied under the public distribution System through chemical or other processes.
- (3) The licensee shall fulfil all the instructions given in writing to him through general of special Order by Licensing Authority or Director/Commissioner of the State Government, from time to time, relating to purchse, Sale or storage of Kerosene for the purpose of sale and disposal.”.

5. In Sub-clause (1) of clause 13, for the heading “Amount of Security Deposit” and the entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“Amount of Security Deposit

Wholesaler	Rs. 10,000/-
Semi-wholesaler	Rs. 5,000/-
Retailer	Rs.1,000/-.”.

6. In Clasue 8, in sub-clause (1), for item (ii), the following item shall be substituted,namely:—

“(ii) Any Officer of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, who is holding the post not less than that of a Junior Supply Officer.”;

7. Throughout this Order for the word “Director”, the words and sign “Director/Commissioner” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.